2022 का विधेयक संख्यांक 95.

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. लागू होना ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

अनुज्ञा की आवश्यकता

4. अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान को अनुज्ञा देना ।
5. अंटार्कटिक में भारतीय आस्थान के लिए अनुज्ञा देना ।
6. अंटार्कटिक में प्रवेश के लिए जलयान या वायुयान को अनुज्ञा देना ।
7. खनिज संपदा क्रियाकलाप के लिए अनुज्ञा देना ।
8. अंटार्कटिक में कतिपय क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञा देना ।
9. अंटार्कटिक में गैर-देशीय पशु और पौधों को प्रविष्ट कराने के लिए अनुज्ञा देना ।
10. सूक्ष्मदर्शी जीवों को प्रविष्ट कराने के लिए अनुज्ञा देना ।
11. संरक्षित क्षेत्रों में प्रविष्टि के लिए अनुज्ञा देना ।
12. अपशिष्ट के निपटान के लिए अनुज्ञा देना ।
13. समुद्र में निस्सारण के लिए अनुज्ञा देना ।
14. अंटार्कटिक से जैवीय नमूना या कोई अन्य सैम्पल को हटाने के लिए अनुज्ञा देना ।
15. आपातकाल के दौरान कतिपय उपबंधों का लागू न होना ।
16. अंटार्कटिक में वाणिज्य हेतु मछली मारने के लिए विशेष अनुज्ञा देना ।

अध्याय 3

प्रतिषेध

17. अंटार्कटिक में परमाणु विस्फोट या रेडियो एक्टिव अपशिष्ट तत्व का निस्सारण करने के लिए प्रतिषेध ।
18. अंटार्कटिक में उपजाऊ मिट्टी को ले जाने का प्रतिषेध ।
19. विनिर्दिष्ट पदार्थ और उत्पाद को प्रविष्टि कराने का प्रतिषेध ।
20. ऐतिहासिक स्थल और संस्मारकों से संबंधित प्रतिषेध ।
21. कब्जा, विक्रय, इत्यादि का प्रतिषेध ।
22. कतिपय उत्पाद या पदार्थ के निस्सारण का प्रतिषेध ।

खंड

अध्याय 4

अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति

23. समिति का गठन।

24. समिति की बैठकें ।

25. समिति के कृत्य ।

26. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

अध्याय 5

अनुज्ञा का अनुदान, निलंबन और रद्दकरण

27. अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

28. कतिपय मामलों में स्वामी या प्रचालक का दायित्व ।

29. अनुज्ञा का निलंबन और रद्दकरण ।

अध्याय 6

निरीक्षण

30. भारत में निरीक्षण ।

31. अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का निरीक्षण ।

32. बाधा और मिथ्या सूचना ।

अध्याय 7

अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन

33. अपशिष्ट का निपटान ।

34. अपशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंध योजना का स्थापन ।

35. अंटार्कटिका से अपशिष्ट का हटाया जाना ।

36. दहन अपशिष्ट का निपटान ।

37. अपशिष्ट का भंडारण ।

अध्याय 8

समुद्री प्रदूषण के निवारण और आपात पर्यावरण के लिए दायित्व

38. समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं की अनुपालना सुनिश्चित करना ।

39. पर्यावरणीय आपात की दशा में प्रचालक के कर्तव्य और दायित्व ।

40. प्रचालक की कतिपय मामलों में दायित्व से छूट ।

अध्याय 9

अपराध और शास्तियां

41. किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

42. जलयान को अंतर्वलित करने वाले, अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

43. वायुयान को अंतर्वलित करने वाले, अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

44. शास्ति, जहां अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है ।

खंड

45. कंपनियों द्वारा अपराध ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

46. निधि का गठन ।

47. कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनुज्ञापत्र हेतु प्रतिभूति ।

48. पदाभिहित न्यायालय और अधिकारिता ।

49. अपराधों की समिति को रिपोर्ट ।

50. अन्वेषण, आदि की शक्ति प्रदान करना ।

51. पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना ।

52. लेखा और संपरीक्षा ।

53. विवरणियां और रिपोर्ट ।

54. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

55. नियम बनाने की शक्ति ।

56. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

57. संसद् के समक्ष नियमों, अधिसूचनाओं या किए गए या जारी आदेशों का रखा जाना ।

2022 का विधेयक संख्यांक 95.

[दि इंडियन अंटार्कटिक बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022

अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करने हेतु और अंटार्कटिक संधि को प्रभावी करने के लिए, अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा के संरक्षण पर अभिसमय और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकाल के लिए और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय उपायों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

अंटार्कटिक संधि पर वाशिंगटन डी.सी. में 1 दिसंबर, 1959 को हस्ताक्षर किया गया था ;

अंटार्कटिक संधि पर प्रारंभ में बारह देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और तब से बयालिस अन्य देश भी संधि में सम्मिलित हो चुके हैं ;

संधि के कुल चौवन राज्य पक्षकारों, उनतीस देशों को अंटार्कटिक परामर्शदात्री अधिवेशन में मत देने के अधिकार के साथ परामर्शदात्री पक्षकार की हैसियत भी है और पच्चीस देशों को, जो अपरामर्शदात्री पक्षकार हैं, उसमें मत देने का अधिकार नहीं है ;

भारत ने अंटार्कटिक संधि पर 19 अगस्त, 1983 को हस्ताक्षर किया और 12 सितंबर, 1983 को परामर्शदात्री हैसियत प्राप्त किया ;

अन्य बातों के साथ, अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण और परिरक्षण के लिए और विशिष्टतया, अंटार्कटिक में समुद्री जीव संपदा के परिरक्षण और संरक्षण के लिए अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा के संरक्षण पर अभिसमय पर 20 मई, 1980 को कैनबरा में हस्ताक्षर किया गया था ;

भारत ने उक्त अभिसमय को 17 जून, 1985 को अनुसमर्थित किया और उस अभिसमय के अधीन अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षण आयोग का एक सदस्य है ;

अन्य बातों के साथ, अंटार्कटिक संधि प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए और अंटार्कटिक पर्यावरण तथा आश्रित और सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए एक व्यापक व्यवस्था के विकास हेतु अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकाल पर 4 अक्तूबर, 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किया गया था ;

भारत ने 14 जनवरी, 1998 को अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किया ;

अंटार्कटिक 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित है और जो एक प्राकृतिक आरक्षिति, शांति और विज्ञान के लिए समर्पित है तथा जिसे किसी अंतरराष्ट्रीय मतभेद का परिदृश्य या विषय नहीं बनना चाहिए ;

उक्त संधि को प्रभावी करने के लिए कि अभिसमय और प्रोटोकाल तथा अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण का उपबंध करने के लिए और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र और अंटार्कटिक में परिकल्पित विभिन्न क्रियाकलापों के विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषय पर आवश्यक विचार किया जाता है ।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

लागू होना ।

2. यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होगा,—

(क) भारत के नागरिक ; या

(ख) किसी अन्य देश के नागरिक ; या

(ग) कोई कंपनी, निगमित निकाय, निगम, भागीदारी फर्म, सहउद्यम, व्यक्तियों का संगम या भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अन्य निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत इकाई ; या

(घ) भारत में या भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत कोई जलयान या वायुयान,

यदि ऐसा व्यक्ति, जलयान या वायुयान, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी अनुज्ञापत्र के अधीन अंटार्कटिक के किसी भारतीय अभियान का भाग है और

इसमें ऐसा जलयान या वायुयान जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, किन्तु अंटार्कटिक में प्रवेश करने के लिए किसी अन्य पक्षकार द्वारा भाड़े पर लिया गया है, भी सम्मिलित होगा ;

(ङ) अंटार्कटिक में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट हैं, अर्थात् :—

(i) अंटार्कटिक महाद्वीप, जिसमें इसके आइस शेल्फ सम्मिलित हैं ;

(ii) 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण स्थित सभी द्वीप, जिसमें उसके आइस शेल्फ सम्मिलित हैं ;

(iii) महाद्वीपीय शेल्फ के सभी क्षेत्र, जो उस महाद्वीप से लगे हुए हैं या वे द्वीप, जो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण हैं ;

(iv) 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण स्थित सभी समुद्र और वायु क्षेत्र ; और

(v) अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा के संरक्षण पर अभिसमय के अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र ।

परिभाषाएं ।

3. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "क्रियाकलाप" से अंटार्कटिक में किसी प्रकार का प्रचालन अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत पर्यटन, अनुसंधान, संरक्षण, मछली पकड़ना और वाणिज्य हेतु मछली पकड़ना सम्मिलित है ;

1934 का 22

(ख) "वायुयान" का वही अर्थ है, जो वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (1) में है ;

(ग) "विश्लेषक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन किसी नमूने या वस्तु को इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के लिए समिति द्वारा उसे पदाभिहित किया गया है ;

(घ) "संधि का अन्य पक्षकार" या "प्रोटोकाल का अन्य पक्षकार" से भारत से भिन्न कोई अन्य पक्षकार अभिप्रेत है ;

(ङ) "अंटार्कटिक" से धारा 2 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट अंटार्कटिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(च) "अंटार्कटिक पर्यावरण" से अंटार्कटिक पर्यावरण पर आश्रित और सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें उसकी बंजर भूमि और सौन्दर्य संबंधी वस्तुओं का तात्विक मूल्य, वैज्ञानिक अनुसंधान या ऐसे अनुसंधान के संचालन के लिए किसी क्षेत्र के रूप में इसका मूल्य अभिप्रेत है, जो वैश्विक पर्यावरण, जलवायु और वातावरण के घटक को समझने के लिए आवश्यक हैं ;

(छ) "समिति" से धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति अभिप्रेत है ;

(ज) "व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन" से धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट पर्यावरण समाघात निर्धारण का कोई व्यापक मूल्यांकन अभिप्रेत है ;

(झ) "अभिसमय" से कैनबरा, आस्ट्रेलिया में 20 मई, 1980 को हस्ताक्षरित अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा का संरक्षण पर अभिसमय अभिप्रेत है ;

(ञ) "परामर्शदात्री पक्षकार" से अंटार्कटिक संधि के लिए अंटार्कटिक संधि

और पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकाल के लिए हस्ताक्षरकर्ता कोई राज्य पक्षकार अभिप्रेत हैं, जिसको अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री अधिवेशन द्वारा किसी विनिश्चय, उपाय और ग्रहण किए गए संकल्प पर मत देने का अधिकार है ;

(ट) "भारतीय अभियान'' से भारत द्वारा आयोजित अंटार्कटिका के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की गई कोई यात्रा अभिप्रेत है ;

(ठ) "प्रारंभिक पर्यावरणीय मूल्यांकन'' से धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का प्रारंभिक मूल्यांकन अभिप्रेत है ;

(ड) "भूमि'' के अंतर्गत आइस शेल्फ की वैज्ञानिक परिभाषा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी द्वीप, महाद्वीपीय शेल्फ और कोई आइस शेल्फ आता है ;

(ढ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' या ''अधिसूचित'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ण) जलयान या वायुयान के संबंध में "आपरेटर'' से उस जलयान या वायुयान का तत्समय प्रबंध करने वाला स्वामी या व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(त) ''पक्षकार'' से अंटार्कटिक संधि के हस्ताक्षरकर्ता कोई राज्य पक्षकार या संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य राज्य अभिप्रेत है ;

(थ) "अनुज्ञापत्र'' से धारा 27 के अधीन समिति द्वारा जारी किया गया कोई अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है ;

(द) "व्यक्ति'' से धारा 2 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है ;

(ध) "विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(न) "प्रोटोकाल'' से 4 अक्तूबर, 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकाल अभिप्रेत है, जो 14 जनवरी, 1998 को प्रवृत्त हुआ ;

(प) "आस्थान'' के अंतर्गत अंटार्कटिक में कोई कार्य स्थल, भवन या भवनों का समूह या कोई अस्थायी सुविधा सम्मिलित है ;

(फ) "संधि'' से 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन डी.सी. में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि अभिप्रेत है, जो 23 जून, 1961 को प्रवृत्त हुई ;

(ब) "जलयान'' का वही अर्थ है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (55) में है ; 1958 का 44

(भ) "अपशिष्ट'' से अप्रयोज्य अनुपयोगी जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसा ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ सम्मिलित है, जिसका कब्जा रखने वाला या उत्पादक, उसका निस्सारण या नियंत्रित निपटान चाहता है, जिसकी लोक कल्याण को परिरक्षित रखने के लिए अपेक्षा की जाती है और विशिष्टतया, पर्यावरण का संरक्षण ; या अवशिष्ट रेडियो एक्टिव पदार्थ या खोले गए या विखंडित रेडियो एक्टिव घटक किए, जिनका नियंत्रित निपटान परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अनुसार किया जाएगा । 1962 का 33

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संधि या अभिसमय या प्रोटोकाल में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उस संधि या अभिसमय या प्रोटोकाल में हैं ।

अध्याय 2

अनुज्ञा की आवश्यकता

अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान को अनुज्ञा देना ।

4. किसी भारतीय अभियान में कोई व्यक्ति प्रोटोकाल के लिए अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञा या लिखित प्रधिकार के बिना अंटार्कटिक में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति के मामले में अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी, जो अंटार्कटिक के बाहर किसी तुरंत गंतव्य स्थान के लिए खुले समुद्र पर या उसके ऊपर यात्रा कर रहा है ।

अंटार्कटिक में भारतीय आस्थान के लिए अनुज्ञा देना ।

5. कोई व्यक्ति, प्रोटोकाल के लिए अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के बिना, अंटार्कटिक के किसी भारतीय आस्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा ।

अंटार्कटिक में प्रवेश के लिए जलयान या वायुयान को अनुज्ञा देना ।

6. भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई जलयान या वायुयान प्रोटोकाल के लिए अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञा या लिखित प्रधिकार के बिना अंटार्कटिक में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा :

परंतु ऐसे जलयान के मामले में अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी, जो अंटार्कटिक के बाहर किसी तुरंत गंतव्य स्थान के लिए खुले समुद्र पर या उसके ऊपर यात्रा कर रहा है :

परंतु यह और कि किसी व्यक्ति को अंटार्कटिक के बाहर किसी तुरंत गंतव्य स्थान के लिए किसी वायुयान से यात्रा करने के संबंध में अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी ।

खनिज संपदा क्रियाकलाप के लिए अनुज्ञा देना ।

7. इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी अनुज्ञा पत्र के सिवाय, अंटार्कटिक में कोई व्यक्ति या जलयान,—

(क) खनिज संपदा के लिए ड्रिल, निकर्षण या उत्खनन नहीं करेगा ;

(ख) खनिज संपदा का कोई नमूना इकट्ठा नहीं करेगा ;

(ग) विनिर्दिष्ट खनिज संपदा की उपस्थिति या निक्षेप या ऐसे क्षेत्र, जहां ऐसी उपस्थिति या निक्षेप पाए जाएं, पहचान के प्रयोजन के लिए कोई कार्य नहीं करेगा :

परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई अनुज्ञा तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब समिति इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती है कि ऐसे क्रियाकलाप केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए क्रियान्वित किए जाएंगे—

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ; या

(ख) अंटार्कटिक में किसी भारतीय आस्थान के विनिर्माण, रखरखाव या मरम्मत या भारत द्वारा या के निमित्त कोई अन्य ढांचा, सड़क, रनवे या जेटी से संबंधित है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''खनिज संपदा'' से ऐसी प्राकृतिक संपदा अभिप्रेत है, जो न तो जीवित हैं और न ही नवीकरणीय है ।

अंटार्कटिक में कतिपय क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञा देना ।

8. अंटार्कटिक में कोई व्यक्ति, प्रोटोकाल के लिए अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञा या लिखित प्रधिकार के बिना,—

(क) किसी देशी पौधे को ऐसी रीति में जानबूझकर नहीं हटाएगा या क्षतिग्रस्त नहीं करेगा कि उसका स्थानीय वितरण या प्रचुरता महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है ;

(ख) हेलीकाप्टर या अन्य वायुयान जानबूझकर ऐसी रीति में नहीं उड़ाएगा या नहीं उतारेगा, जिससे देशी पक्षियों या सील मछलियों की एकाग्रता विच्क्षुब्ध होती है ;

(ग) यान या जलयान, जिसमें होवर क्राफ्ट और कोई छोटी नाव सम्मिलित है, का प्रयोग ऐसी रीति में जानबूझकर नहीं करेगा, जिससे देशी चिड़ियों या सील मछलियों की एकाग्रता विच्क्षुब्ध होती है ;

(घ) ऐसी रीति में जानबूझकर किसी विस्फोटक या अग्निशस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे देशी पक्षियों या सील मछलियों की एकाग्रता विच्क्षुब्ध होती है ;

(ङ) पैदल चलते समय, देशी चिड़ियों या सील मछलियों की एकाग्रता से प्रजनन करने या पंखों को झड़ने में जानबूझकर विच्क्षुब्ध नहीं करेगा ;

(च) किसी वायुयान को उतारते समय, किसी यान को चलाते समय या वहां चलते समय, किसी स्थलीय देशी पौधों की एकाग्रता को महत्वपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नहीं करेगा ;

(छ) किसी ऐसे क्रियाकलाप में नहीं लगेगा, जिसके परिणामस्वरूप किसी विशेषतया संरक्षित जीव-जन्तु या देशी स्तनपायी की जनसंख्या, देशी पक्षियों, देशी पौधे या देशी अकशेरुकी के प्राकृतिक वास में प्रतिकूल परिवर्तन हो ;

(ज) अंटार्कटिक की मिट्टी या किसी देशी जैविक तत्व को जानबूझकर नहीं हटाएगा ; या

(झ) किसी देशी स्तनपायी या देशी पक्षियों को जब तक नहीं मारेगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा, नहीं पकड़ेगा, नहीं छुएगा या उत्पीड़ित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति के जीवन को संरक्षित करने के लिए न किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''देशी पक्षी'' से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो अपने जीवन चक्र के किसी चरण पर, जिसमें किसी वर्ग के जीव-जन्तु का अंडा देना भी सम्मिलित है, जो अंटार्कटिक का निवासी है या प्राकृतिक प्रव्रजन के माध्यम से मौसम में घटित होता है, जिसके अंतर्गत उसका कोई भाग, उत्पाद, अंडा या संतान या मृत शरीर या उसका कोई भाग और जीवाश्म सम्मिलित है ;

(ii) "देशी अकशेरुकी'' से अपने जीवन चक्र के किसी चरण पर कोई स्थलीय या जलीय अकशेरुकी अभिप्रेत है, जो अंटार्कटिक का निवासी है, जिसके अंतर्गत उसका कोई भाग और जीवाश्म आता है ;

(iii) "देशी स्तनपायी'' से स्तनपायी श्रेणी के किसी जीव-जन्तु का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो अंटार्कटिक का निवासी है या प्राकृतिक प्रव्रजन के माध्यम से मौसम में घटित होता है, जिसके अंतर्गत उसका कोई भाग, उत्पाद,

अंडा या संतान या मृत शरीर या उसका कोई भाग और जीवाश्म आता है ;

(iv) "देशी पौधा" से कोई स्थलीय या जलीय वनस्पति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत अपने जीवन चक्र के किसी चरण पर ब्रायोफाइट, शैवाल, कवक और शैवाल आता है जिसके अंतर्गत बीज और अन्य प्रजनक भी आते हैं, जो अंटार्कटिक या ऐसे वनस्पति के भाग या अन्य जीवाश्मों के निवासी हैं ;

(v) "विशेषतया संरक्षित जीव-जाति" से ऐसी देशी जीव-जातियां अभिप्रेत हैं, जो प्रोटोकाल और अभिसमय में विशेषत: संरक्षित जीव-जातियों के रूप में अभिहित की गई हैं ।

अंटार्कटिक में गैर-देशीय पशु और पौधों को प्रविष्ट कराने के लिए अनुज्ञा देना ।

9. कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान अंटार्कटिक के किसी भाग में, किसी जीव–जन्तु का कोई पशु, जो अंटार्कटिक का निवासी नहीं है या कोई पौधा, जो देशी पौधा नहीं है, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के सिवाय, प्रविष्ट नहीं करेगा :

परंतु इस धारा के उपबंध कुक्कुट पालन या जीवित पशुओं से भिन्न खाद्य के लिए लागू नहीं होगा ।

सूक्ष्मदर्शी जीवों को प्रविष्ट कराने के लिए अनुज्ञा देना ।

10. कोई व्यक्ति, अंटार्कटिक के किसी भाग में, किसी जीव-जाति का सूक्ष्मदर्शी जीव, जो अंटार्कटिक का निवासी नहीं है, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के सिवाय, प्रविष्ट नहीं कराएगा ।

संरक्षित क्षेत्रों में प्रविष्टि के लिए अनुज्ञा देना ।

11. कोई व्यक्ति या जलयान या वायुयान प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के सिवाय, अंटार्कटिक विशेषत: संरक्षित क्षेत्र या समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जो विहित जाए, में प्रविष्ट नहीं करेगा ।

अपशिष्ट के निपटान के लिए अनुज्ञा देना ।

12. कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान को प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के सिवाय, अंटार्कटिक में अपशिष्ट का निपटान नहीं करेगा ।

समुद्र में निस्सारण के लिए अनुज्ञा देना ।

13. कोई जलयान, जब वह अंटार्कटिक में हो, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के सिवाय, समुद्र में कोई तेल, या तेलीय मिश्रण, बहिस्राव, नित्तल जल या किसी खाद्य का अपशिष्ट निस्सारित नहीं करेगा ।

अंटार्कटिक से जैवीय नमूना या कोई अन्य सैम्पल को हटाने के लिए अनुज्ञा देना ।

14. (1) समिति, किसी व्यष्टिक मामले में लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा, अर्थात् :—

(i) नमूना प्राप्त करने या अध्ययन या वैज्ञानिक सूचना के लिए कोई अन्य सैम्पल प्राप्त करने के लिए ;

(ii) संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय, चिड़ियाघर और वनस्पतीय बाग या अन्य शैक्षणिक या सांस्कृतिक संस्था या प्रयोग के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए :

परंतु ऐसी अनुज्ञा निम्नलिखित को सुनिश्चित करने तक सीमित होगी, कि—

(क) केवल ऐसे देशी स्तनपायी, पक्षी, अकशेरुकी, पौधे या किसी अन्य नमूने की ऐसी संख्या, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए आवश्यकताओं को कठोरता से पूरा करती है ;

(ख) केवल ऐसे देशी स्तनपायी या पक्षी, जो ऐसी संख्या में मारी जाती हैं, जो कि आगामी मौसम में प्राकृतिक पुनरुत्पादन द्वारा साधारतया परिवर्तित की जा सकती है ;

(ग) जीव-जन्तुओं की विविधता, जो उनके अस्तित्व के प्राकृतिक वास के लिए आवश्यक है और अंटार्कटिक में विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखता है ;

(घ) ओम्मेटोफोकेरोस्सी (रोज सील) या कोई अन्य जीव-जन्तु, जो विहित की जाए, उनका विशेष संरक्षण किया जाएगा और केवल किसी वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए ऐसे जीव-जन्तु को मारा जा सकेगा, क्षति की जा सकेगी, पकड़ा जा सकेगा या छूकर देखा जा सकेगा, यदि उस जीव-जन्तु की उत्तरजीविता को या वापसी या स्थानीय जनसंख्या को जोखिम में न डाला जाए और जहां तक हो सके, अप्राणघातक तकनीक का प्रयोग किया जाए ;

(ङ) स्तनपायी या पक्षियों को मारने या चोट पहुंचाने या पकड़ने या छूने में ऐसी रीति का प्रयोग किया जाए, जिसमें कम से कम पीड़ा या यातना हो ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए जारी अनुज्ञा पत्र में निर्गमन प्राधिकारी और अनुज्ञा देने वाले रिसीवर का नाम, दी गई अनुज्ञा के क्रियाकलाप की अवधि और स्थान को विशिष्टतया उल्लिखित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एकत्र करने के लिए आशयित नमूने का आकार, भार और आयतन भी सम्मिलित है ।

आपातकाल के दौरान कतिपय उपबंधों का लागू न होना ।

15. धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 11, धारा 12 और धारा 13 के उपबंध ऐसे आपातकालों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति की सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण या किसी जलयान, वायुयान, उपस्कर या सुविधा, जिसका एक महत्वपूर्ण मूल्य है, सम्मिलित है ।

अंटार्कटिक में वाणिज्य हेतु मछली मारने के लिए विशेष अनुज्ञा देना ।

16. कोई व्यक्ति, जो वाणिज्य के प्रयोजन हेतु मछली मारने के लिए अंटार्कटिक जाना चाहता है, समिति के माध्यम से अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा के संरक्षण के लिए आयोग के सचिवालय से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा ।

अध्याय 3

प्रतिषेध

अंटार्कटिक में परमाणु विस्फोट या रेडियो एक्टिव अपशिष्ट तत्व का निस्सारण करने के लिए प्रतिषेध ।

17. कोई व्यक्ति, अंटार्कटिक में कोई परमाणु विस्फोट या किसी रेडियो एक्टिव तत्व का निस्सारण नहीं करेगा ।

अंटार्कटिक में उपजाऊ मिट्टी को ले जाने का प्रतिषेध ।

18. कोई व्यक्ति या यान, अंटार्कटिक के किसी भाग में उपजाऊ मिट्टी को नहीं ले जाएगा ।

विनिर्दिष्ट पदार्थ और उत्पाद को प्रविष्टि कराने का प्रतिषेध ।

19. कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान, किसी पदार्थ या उत्पाद को, जो विहित की जाए, अंटार्कटिक में प्रविष्टि नहीं कराएगा ।

ऐतिहासिक स्थल और संस्मारकों से संबंधित प्रतिषेध ।

20. कोई व्यक्ति, अंटार्कटिक में किसी ऐतिहासिक स्थल या संस्मारक या उसके भाग को, जो विहित किया जाए, क्षति नहीं पहुंचाएगा, उसे नष्ट नहीं करेगा या उसे नहीं हटाएगा ।

कब्जा, विक्रय, इत्यादि का प्रतिषेध ।

21. कोई व्यक्ति या जलयान या कोई वायुयान, जब अंटार्कटिक में हो, कब्जा, विक्रय, विक्रय के लिए प्रस्ताव, व्यापार, देना, परिवहन, अंतरण या किसी वस्तु को नहीं भेजेगा, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में प्राप्त किया गया हो ।

कतिपय उत्पाद या पदार्थ के निस्सारण का प्रतिषेध ।

22. कोई जलयान, जब वह अंटार्कटिक में है, कोई कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक या अन्य उत्पाद या पदार्थ को समुद्र में निस्सारित नहीं करेगा, जो समुद्री पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी जलयान के संबंध में, कूड़ा-कचरा का अर्थ सभी प्रकार के रसद, घरेलू और प्रचालन अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत ताजी मछलियां और उसके भाग, जो लदान के सामान्य प्रचालन के दौरान उत्पादित हैं और सतत रूप से या आवधिक रूप से निस्सारण के लिए दायी होंगे ।

अध्याय 4

अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति

समिति का गठन ।

23. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन करेगी, जिसे अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति कहा जाएगा, जो निम्नलिखित संदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय – अध्यक्ष, पदेन ;

(ख), केंद्रीय सरकार के साथ संव्यवहार करने के लिए मंत्रालय या विभाग या संगठन में से किसी से केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए दस ऐसे सदस्य, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, - पदेन—

(i) रक्षा ;

(ii) विदेश ;

(iii) वित्त ;

(iv) मत्स्य पालन;

(v) विधि कार्य;

(vi) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;

(vii) पोत परिवहन;

(viii) पर्यटन;

(ix) पर्यावरण;

(x) संसूचना;

(xi) अंतरीक्ष;

(xii) राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केन्द्र; और

(xiii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ,—

(i) अंटार्कटिक पर्यावरण ; और

(ii) जैव-राजनीती ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सुसंगत क्षेत्र में ऐसे अन्य विशेषज्ञ ।

(2) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ग) और (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेंगे ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ग) और (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते या फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किए जाए ।

(5) सदस्य अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, जो विहित की जाए ।

समिति की बैठकें ।

24. समिति ऐसे अंतरालों पर बैठक करेगी और उसकी बैठकों (जिसके अंतर्गत वहां गणपूर्ति भी है) के कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो विहित किए जाएं ।

समिति के कृत्य ।

25. समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) प्रचालकों और अंटार्कटिका में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में नियोजित किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय विधियों, उत्सर्जन मानकों और नियमों की मानीटरी, क्रियान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना ;

(ख) अंटार्कटिका में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के संबंध में सलाह लेना, पर्यवेक्षी या प्रर्वतन क्रियाकलाप प्रारंभ करना ;

(ग) संधि, अभिसमय, नयाचार के पक्षकारों और अंटार्कटिका में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में नियोजित अन्य पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सुसंगत सूचना और रिपोर्टें अभिप्राप्त करना और उनका पुनर्विलोकन करना ;

(घ) अंटार्कटिका में पक्षकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों और क्रियाकलापों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करना ;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि संधि, अभिसमय, नयाचार के अधीन कार्यक्रम और क्रियाकलाप भारत की बाध्यता और भारत में तत्समय प्रवृत्त ऐसी अन्य सुसंगत विधियों से संगत हो ;

(च) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों को अवधारित करना ;

(छ) अभिसमय और नयाचार के अन्य पक्षकारों के साथ अंटार्कटिका में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के संबंध में मामला दर मामला आधार पर संधि, फीस और प्रभार्यों पर बातचीत करना ;

(ज) उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य पक्षकारों के साथ सहयोग करना ; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, समिति को इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और समिति ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार और समिति के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्याय 5

अनुज्ञा का अनुदान, निलंबन और रद्दकरण

अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

27. (1) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार समिति को किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी संलग्न फीस के साथ होगा जो विहित की जाए ।

(3) समिति ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे और उपधारा (4) में निर्दिष्ट विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करते समय समिति निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) जलवायु या मौसम पैटर्न पर विपरीत प्रभाव ;

(ख) वायु, हिम, मृदा, भूमि या जल की क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव ;

(ग) वातावरण, स्थलीय, जलीय, हिमनदीय, ध्वनि या समुद्री पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन ;

(घ) देशज जीवाणु, जीव-जंतु या पादप जाति अथवा उनकी जीव संख्या के वितरण, प्रचुरता या उत्पादकता में अपहानिकर परिवर्तन ;

(ङ) संकटापन्न जाति या जीव संख्या को अपहानि या जोखिम में डालना ;

(च) पर्यावरणीय, जैव, भू-वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, ऊसर या सौदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण अथवा आदि युगीन प्रकृति के क्षेत्रों को अपहानि या विपुल जोखिम में डालना ; और

(छ) अंटार्कटिक पर्यावरण और उस पर निर्भर तथा सहयुक्त पारितंत्र पर ऐसे अन्य विपुल हानिकर प्रभाव, जो विहित किए जाएं ।

(5) समिति अनुज्ञा जारी करने से पहले आवेदक से प्रस्तावित क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघात निर्धारण को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए क्रियान्वित करने की अपेक्षा करेगी और अनुज्ञा जारी करेगी यदि उसने विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है :

परंतु अंटार्कटिका में क्रियाकलापों से संबंधी अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन जिससे पर्यावरण को सूक्ष्म या अस्थायी से कम समाघात कारित होने की युक्तियुक्त आशंका है प्रस्तावित क्रियाकलाप के प्रारंभ से छह मास पूर्व समिति को किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी क्रियाकलाप की परीक्षा करते समय समिति स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखेगी :

परंतु यह भी कि परीक्षा के पश्चात् यदि समिति का यह समाधान हो जाता है

कि ऐसे क्रियाकलाप से पर्यावरण पर सूक्ष्म या अस्थायी से कम समाघात कारित होने की युक्तियुक्त आशंका है तब वह आवेदक से प्रस्तावित क्रियाकलाप के प्रारंभ से तीन मास पूर्व प्रारंभिक पर्यावरणीय मूल्यांकन संचालित और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी :

परंतु यह भी कि यदि प्रारंभिक पर्यावरण मूल्यांकन संचालित करने के पश्चात् समिति की यह राय है कि क्रियाकलापों का पर्यावरण पर सूक्ष्म या अस्थायी से अधिक समाघात है तो वह आवेदक से व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन संचालित करने और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी ।

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समिति, किसी व्यक्ति को या जलयान या वायुयान को भारतीय अभियान पर इस धारा के अधीन प्राधिकृत करते हुए अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगी जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभियान के लिए अवशिष्ट प्रबंधन योजना और आपात योजना ऐसी रीति में जो विहित की जाए तैयार नहीं की गई है:

परंतु अवशिष्ट प्रबंधन योजना में ऐसे अवशिष्ट के ब्यौरे सम्मिलित होगे जिनके निपटान के लिए अंटार्कटिका से भारतीय राज्यक्षेत्र या किसी अन्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लदान किया जाना आशयित है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "अवशिष्ट प्रबंधन योजना" से धारा 34 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवशिष्ट प्रबंधन योजना अभिप्रेत है;

(ii) "आपात योजना" से धारा 39 में निर्दिष्ट पर्यावरणीय आपात से निपटने के लिए योजना अभिप्रेत है ।

(7) इस धारा के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा जब तक कि वह उससे पहले प्रतिसंहृत नहीं की गई हो, ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी जो अनुज्ञा में यथा विनिर्दिष्ट है और उसकी समाप्ति की तारीख से सात दिवस पहले इस संबंध में आवेदन किए जाने पर ऐसी अवधि के लिए और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए नवीकृत हो सकेगी :

परंतु अनुज्ञा की समाप्ति से तीस दिवस के भीतर आवेदन किए जाने पर नवीकृत की जा सकेगी यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि समय पर आवेदन नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

कतिपय मामलों में स्वामी या प्रचालक का दायित्व ।

28. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई जलयान या वायुयान अंटार्कटिका में भारतीय अभियान या मत्स्य पालन का भाग है लेकिन उसका स्वामी या प्रचालक ऐसे अभियान या मत्स्य पालन का भाग नहीं है तब ऐसा स्वामी या प्रचालक भी जो या तो किसी वर्ग अथवा अन्य वर्णन द्वारा पर्याप्त रूप से परिलक्षित है, अनुज्ञा की शर्तों द्वारा बाध्य होगा ।

अनुज्ञा का निलंबन और रद्दकरण ।

29. (1) यदि समिति के पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी अनुज्ञाधारक ने आवेदन में कोई गलत या मिथ्या कथन किया है या किसी तात्विक तथ्य को छिपाया है अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश या जारी की गई किसी अधिसूचना का उल्लंघन किया है या अनुज्ञा की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे अनुज्ञाधारक के विरुद्ध कोई जांच पूर्ण होने के लंबित रहते, अनुज्ञा को निलंबित कर

सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के पश्चात् समिति किसी अन्य शास्ति जिसका अनुज्ञाधारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायी हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञा को रद्द कर सकेगी :

परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई अनुज्ञा निलंबित या इस उपधारा के अधीन रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञा के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो:

परंतु यह और कि समिति अनुज्ञा धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अनुज्ञा को निलंबित या रद्द कर सकेगी यदि उसका ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, विधि और व्यवस्था बनाए रखने या लोकहित के अन्य मामले में तथा किसी अतिरिक्त शास्ति जिसके लिए ऐसा अनुज्ञा धारक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायी है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अनुज्ञा के निलंबन या रद्दकरण का आदेश दे सकेगी ।

(4) कोई व्यक्ति जिसकी अनुज्ञा उपधारा (1) के अधीन निलंबिन कर दी गई है, ऐसे निलंबन के अव्यवहित पश्चात् सभी क्रियाकलाप जिनके संबंध में अनुज्ञा प्रदान की गई है, रोक देगा, जब तक कि निलंबन का आदेश प्रतिसंहृत नहीं किया जाए ।

(5) ऐसी अनुज्ञा जिसे निलंबित या रद्द किया गया है, का धारक ऐसे निलंबन या रद्द किए जाने के अव्यवहित पश्चात् समिति को अनुज्ञा अभ्यर्पित करेगा ।

(6) इस धारा के अधीन अनुज्ञा के निलंबन या रद्द किए जाने का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा ।

अध्याय 6

निरीक्षण

भारत में निरीक्षण ।

30. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी अर्हता और अनुभव, जो विहित किया जाए, रखने वाले किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन भारत में निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए निरीक्षक के रूप में पदाभिहित कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक निम्नलिखित कर सकेगा,—

(क) किसी स्थान, जिसके अंतर्गत जलयान, आधान, समुद्र में लंगर डाला गया प्लेटफार्म, पोत परिवहन आधान या प्रवहण भी है, में प्रवेश और खोज करना;

(ख) किसी पदार्थ, उत्पाद या चीज की परीक्षा करना;

(ग) किसी पात्र या पैकेज को खोलना और उसकी परीक्षा करना, यदि उसमें कोई संदिग्ध पदार्थ, उत्पाद या अन्य चीज अंतर्विष्ट है;

(घ) किसी पुस्तक, अभिलेख, आंकड़े या अन्य दस्तावेजों की परीक्षा

करना और उनकी प्रतियां बनाना या उनमें से उद्धरण लेना;

(ङ) चीजों के नमूने लेना, यदि सुसंगत हो ;

(च) कोई परीक्षण संचालित करना या कोई माप लेना ; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो विहित किए जाएं ।

(3) निरीक्षक, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में लिए गए नमूने अधिहृत कर सकेगा ।

(4) निरीक्षण किए जाने वाले स्थान का स्वामी या भारसाधक और निरीक्षण के स्थान में पाया गया प्रत्येक व्यक्ति,—

(क) निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता देगा ; और

(ख) ऐसी सूचना प्रदान करेगा जिसकी निरीक्षक अपेक्षा करे ।

अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का निरीक्षण ।

31. (1) समिति, अंटार्कटिका में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निरीक्षण कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए एक निरीक्षण दल का गठन करेगी, जिसमें ऐसी संख्या में प्रेक्षक होंगे जो वह आवश्यक समझे और उनमें से एक को दल के प्रमुख के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) समिति, ऐसी अर्हता और अनुभव, विहित की जाए, रखने वाले अपने किसी अधिकारी को विश्लेषक पदाभिहित कर सकेगी, जो निरीक्षण दल का भाग होगा ।

(3) विश्लेषक, कोई नमूना या पदार्थ एकत्रित और उसकी परीक्षा करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे निरीक्षण दल के प्रमुख द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(4) अंटार्कटिका में निरीक्षण, यदि आवश्यक समझा जाए, एक या अधिक पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

(5) निरीक्षण दल, किसी पक्षकार या किन्हीं पक्षकारों को, जिनके स्टेशन के निरीक्षण करने का वह प्रस्ताव करता है, पूर्व सूचना देकर किसी स्टेशन का निरीक्षण कर सकेगा ।

(6) निरीक्षण दल, किसी युक्तियुक्त समय पर किसी स्थान में, जिसमें उसके पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं, प्रवेश कर सकेगा, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिका में भारत द्वारा प्रबंध किए गए जलयान, वायुयान, आधान, समुद्र में लंगर डाले हुए प्लेटफार्म, पोत परिवहन आधान या प्रवहण भी हैं :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे जलयान या वायुयान को लागू नहीं होगी जो भारतीय अभियान का हिस्सा नहीं है ।

(7) निरीक्षण दल संबद्ध पक्षकार को पूर्व सूचना देकर अंटार्कटिका में किसी जलयान या वायुयान पर किसी युक्तियुक्त समय पर चढ़ या यात्रा कर सकेगा और ऐसे जलयान या वायुयान अथवा संसूचना प्रणाली का निरीक्षण कर सकेगा ।

(8) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निरीक्षण दल, किसी स्टेशन, संस्थापन, उपस्कर, समुद्र में लंगर डाले हुए प्लेटफार्म, पोत-परिवहन आधान या प्रवहण (जलयान या वायुयान से भिन्न) का जो ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन है जो ना तो भारत का नागरिक है, और ना ही किसी भारतीय अभियान का हिस्सा है, निरीक्षण तब तक नहीं करेगा जब तक कि किसी संपत्ति या संस्थापन के निरीक्षण

के लिए सम्यक सूचना उस पक्षकार को जो ऐसी संपत्ति या संस्थापन का स्वामी है नहीं दे दी जाती है ।

(9) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण किए जाने वाले स्थान का स्वामी या भारसाधक और प्रत्येक व्यक्ति जो उस स्थान पर पाया जाता है, निरीक्षण दल को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए समर्थ बनाने में सभी युक्तियुक्त सहायता करेगा और कोई सूचना जो अपेक्षित की जाए, प्रदान करेगा ।

(10) निरीक्षण दल ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं ।

बाधा और मिथ्या सूचना ।

32. (1) कोई व्यक्ति निरीक्षक या निरीक्षण दल को भारत या अंटार्कटिका में अपने कृत्यों का निर्वाहन करने में बाधा नहीं डालेगा या उनमें से किसी को प्रतिबंधित नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जानते हुए या उपेक्षापूर्वक किसी व्यक्ति को भ्रामक सूचना, परिणाम या नमूने नहीं देगा ; या मिथ्या अथवा भ्रामक सूचनाएं अंतर्विष्ट करने वाला कोई दस्तावेज फाइल नहीं करेगा ।

अध्याय 7

अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन

अपशिष्ट का निपटान ।

33. भूमि पर के अपशिष्ट निपटान स्थलों और परित्यक्त कार्य स्थलों को ऐसे अपशिष्ट के जनकों द्वारा और ऐसे स्थलों के उपयोक्ताओं द्वारा साफ किया जाएगा:

परंतु इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि किसी निर्मिति या अपशिष्ट सामग्री के हटाए जाने का परिणाम धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात है, तब ऐसी निर्मिति या अपशिष्ट सामग्री उसकी विद्यमान अवस्थिति में छोड दी जाएगी ।

अपशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंध योजना का स्थापन ।

34. (1) समिति एक अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की—

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों से अंटार्कटिका में अपशिष्ट रिकार्ड करने के लिए ; और

(ख) वैज्ञानिक क्रियाकलापों और सहबद्ध क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघातों पर अध्ययन को सुकर बनाने के लिए,

स्थापना करेगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपशिष्ट निम्नलिखित वर्गों में पृथक्कित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) मल और घरेलू तरल अपशिष्ट ;

(ख) अन्य तरल अपशिष्ट जैसे कि चिकित्सीय और रसायनिक अपशिष्ट जिसके अंतर्गत ईंधन और स्नेहक भी हैं ;

(ग) ठोस अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत भस्मित होने वाले जैविक अपशिष्ट भी है ;

(घ) अन्य ठोस अपशिष्ट ;

(ङ) रेडियोधर्मी सामग्री ; और

(च) कोई अन्य अपशिष्ट, जो विहित किया जाए ।

(3) समिति, अपनी अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार, वार्षिक पुनर्विलोकन और अद्यतीकरण करेगी जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्टेशन, सुविधा, क्षेत्र स्थल, क्षेत्र शिविर, जलयान और वायुयान के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए अपशिष्ट में कमी, भंडारण और निपटान की योजना भी है,—

(क) विद्यमान अपशिष्ट निपटान स्थलों और परित्यक्त कार्य स्थलों को साफ करने के लिए कार्यक्रम ;

(ख) चालू और योजनाबद्ध अपशिष्ट प्रबंध ठहराव ;

(ग) अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए चालू और योजनाबद्ध ठहराव ;

(घ) अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से अन्य उपाय ।

(4) छोटी नौकाएं जो नियत स्थलों या जलयानों के प्रचालन का भाग है, के लिए कोई पृथक सूचना अपेक्षित नहीं होगी ।

(5) जलयानों और वायुयान के लिए विद्यमान प्रबंधन योजनाओं को इस धारा के अधीन अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में ध्यान में रखा जाएगा ।

(6) समिति, जहां तक व्यवहार्य हो, पिछले क्रियाकलापों की अवस्थितियों की एक सूची तैयार करेगी, जिसके अंतर्गत आर-पार गमन पथ, ईंधन डिपो, क्षेत्र आधार, ध्वस्त वायुयान और ऐसे अन्य क्षेत्र, जो विहित किए जाएं, भी हैं ।

(7) अपशिष्ट प्रबंध योजनाएं और उनके क्रियान्वयन पर रिपोर्टें, संधि के पक्षकारों के साथ सूचना के वार्षिक विनिमय में सम्मिलित होगी ।

(8) समिति, प्रत्येक स्टेशन, सुविधा और कार्यस्थल के लिए एक मामला प्रबंध अधिकारी नियुक्त या पदाभिहित करेगी जो अपशिष्ट में कमी और निपटान की योजनाओं के क्रियान्वयन को मानीटर करेगा और उनके सतत् विकास के लिए प्रस्ताव बनाएगी ।

अंटार्कटिका से अपशिष्ट का हटाया जाना ।

35. (1) अंटार्कटिका में जनित निम्नलिखित अपशिष्ट वहां से ऐसे अपशिष्टों के जनकों द्वारा हटाए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अर्थ के भीतर रेडियोधर्मी पदार्थ ; 1962 का 33

(ख) सभी प्रकार की बैटरियां और उनके घटक ;

(ग) ईंधन, तरल और ठोस दोनों ;

(घ) ऐसे अपशिष्ट, जिनमें भारी धातुओं का अपहानिकर स्तर या अत्यंत विषैले अथवा अपहानिकर दृढ सम्मिश्रण अंतर्विष्ट है;

(ङ) पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरिकेन, पॉलीस्टेराइन झाग, रबड, स्नेहक तेल, उपचारित काष्ट और ऐसे अन्य उत्पाद, जिनमें ऐसे योजक अंतर्विष्ट है जो यदि भस्मित हो तो अपहानिकर उत्सर्जन जनित करेंगे ;

(च) सभी अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट;

(छ) ईंधन ड्रम, जो सैन्यतंत्र प्रयोजनों के लिए अपेक्षित से भिन्न है;

(ज) अन्य ठोस, गैर दहन अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत कांच और धातु की कतरन सम्मिलित है परंतु यह उन तक निर्बंधित नहीं है;

(झ) आयतित जीवजंतुओं की लाशों के अवशेष;

(ञ) सूक्षमजीवों और पादप रोगजनकों का प्रयोगशाला संवर्धन;

(ट) पुर:स्थापित पक्षी उत्पाद;

(ठ) भस्मन की राख और उत्पाद;

(ड) अप्रयोज्य मशीनरी और उपस्कर, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक्स भी है; और

(ढ) ऐसे अन्य अपशिष्ट, जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध अपशिष्टों को लागू नहीं होंगे यदि,—

(क) उन्हें जीवाणु विहीन बनाने के लिए भस्मित, भाप-सह पात्र में या अन्यथा उपचारित किया जाता है ।

(ख) ऐसे अपशिष्टों को हटाए जाने का परिणाम धारा 27 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट बृहत् प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात है, तब उन्हें उनकी विद्यमान अवस्थितियों में छोड़ दिया जाएगा ।

(3) अंटार्कटिका से घरेलू अपशिष्टों और अन्य अपशिष्टों को हटाने से पहले उपचारित किया जाएगा और उनका बर्फमुक्त भूमि क्षेत्रों, समुद्री बर्फ, बर्फ शेल्फों या भूमिगत बर्फ की चादर में निपटान किया जाएगा और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से झील में नहीं डाला जाएगा :

परंतु निस्सारित विसर्जन के लिए मानक वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध बर्फ शेल्फों या भूमिगत बर्फ की चादरों पर अवस्थित स्टेशन द्वारा जनित पदार्थों को लागू नहीं होंगे :

परंतु ऐसे अपशिष्टों का निपटान उपचार के पश्चात् गहरे बर्फ गर्त में किया जाएगा जो एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है और ऐसे गर्त, ज्ञात बर्फ प्रवाह रेखाओं जो बर्फ मुक्त क्षेत्रों या उच्च अपक्षरण क्षेत्रों में समाप्त होती हैं पर अवस्थित नहीं हो ।

(5) इस धारा के अधीन अपशिष्टों का समुद्र में निपटान, धारा 12 के अधीन इस संबंध में जारी की गई अनुज्ञा के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

(6) क्षेत्र शिविरों में जनित अपशिष्ट निपटान के लिए सहायक स्टेशनों या जलयानों पर ले जाया जाएगा ।

दहन अपशिष्ट का निपटान ।

36. (1) दहन अपशिष्ट, जो ऐसे अपशिष्ट के जनकों द्वारा नहीं हटाए जाते हैं वे अपहानिकर उत्सर्जन से बचने के लिए अधिकतम व्यवहार्य सीमा तक भस्मक में जलाए जाएंगे और खुले में नहीं जलाए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपशिष्ट के भस्मन और उपस्कर तथा यानों से उत्सर्जन के मानक ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

अपशिष्ट का भंडारण ।

37. (1) अंटार्कटिका से हटाया गया या ऐसे अपशिष्ट के जनकों द्वारा अन्यथा निपटान किया गया पूर्ण अपशिष्ट ऐसे तरीके से पृथक, निरूध, परिबद्ध, और

भंडारित किया जाएगा जिससे उनका पर्यावरण में छितराव रोका जा सके ।

(2) परिसंकटमय अपशिष्टों के रखने या भंडारण के लिए आधान या टंकी प्रणाली ऐसी होगी, जो—

(क) अच्छी और गैर-रिसनीय स्थिति में हो ;

(ख) ऐसी सामग्री से बनी हुई या समनुकूल हो जो भंडारण किए जाने वाले अपशिष्टों के साथ प्रतिक्रिया न करे और अन्यथा संगत हो, जिससे ऐसे अपशिष्ट को आविष्ट करने वाले आधानों की क्षमता का ह्रास न हो ;

(ग) भंडारण किसी ऐसी रीति में हो जिससे आपात जवाब और निरीक्षण हेतु पहुँच अनुज्ञात हो ; और

(घ) जिसका किसी रिसाव की पहचान करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा और उसके क्षय का दस्तावेजीकरण किया जाएगा ।

अध्याय 8

समुद्री प्रदूषण के निवारण और आपात पर्यावरण के लिए दायित्व

समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं की अनुपालना सुनिश्चित करना ।

38. (1) समिति, अनुज्ञापत्र धारक द्वारा अंटार्कटिका पर्यावरण और आश्रित तथा सहबद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र में किसी क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों या संधि या प्रोटोकाल या ऐसी अन्य अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं, जो विहित की जाएं, का अनुपालन भी है, की अनुपालना सुनिश्चित करेगा ।

(2) अनुज्ञापत्र धारक, सभी अपशिष्टों और मल, जिसके अंतर्गत क्रियाकलापों के भागरूप में जलयानों के प्रचालन द्वारा कारित समुद्री पर्यावरण में सभी प्रवेशन और निस्सारण भी हैं, के रिकार्ड अनुरक्षित करेगा और उक्त रिकार्ड, समिति और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त महानिदेशक को, जब कभी अपेक्षित हो, प्रस्तुत किए जाएंगे । 1958 का 44

पर्यावरणीय आपात की दशा में प्रचालक के कर्तव्य और दायित्व ।

39. (1) यदि, अंटार्कटिका पर्यावरण और आश्रित तथा सहबद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र में किसी क्रियाकलाप से कोई पर्यावरणीय आपात उत्पन्न होता है, तो प्रचालक बिना देर किए, प्रभावी जवाबी कार्रवाई करेगा और समिति तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त महानिदेशक को, ऐसे पर्यावरणीय आपात के बारे में सूचित करेगा और समिति उसके पश्चात् संधि के पक्षकारों को इसे पारेषित करेगा । 1958 का 44

(2) प्रचालक द्वारा, यदि उपधारा (1) के अधीन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती है और पर्यावरणीय आपात की प्रकृति ऐसी है कि तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है, तो पक्षकार, प्रचालक की ओर से ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जहां जलयान या वायुयान रजिस्ट्रीकृत है, और प्रचालक, पक्षकार या पक्षकारों द्वारा की गई ऐसी जवाबी कार्रवाई के लिए, ऐसी रकम, जो प्रोटोकाल के उपाबंध 6 के अनुसार विहित की जाए, संदाय करने का दायी होगा ।

(3) यदि प्रचालक या किसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रचालक, ऐसी शास्ति, जो प्रोटोकाल के उपाबंध 6 के अनुसार विहित की जाए, का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''पर्यावरणीय आपात'' पद से कोई

ऐसी अपूर्वकल्पित या आकस्मिक घटना अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप अंटार्कटिका पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण और हानिकर समाघात हुआ है या होने की सन्निकट आशंका है ।

प्रचालक की कतिपय मामलों में दायित्व से छूट ।

40. कोई प्रचालक धारा 39 के अधीन किसी पर्यावरणीय आपात के लिए दायी नहीं होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसा आपात, निम्नलिखित द्वारा कारित है,—

(क) कोई कार्य करने या करने से लोप रहने से, जो मानव जीवन की संरक्षा के लिए आवश्यक था ;

(ख) कोई असाधारण प्रकृति की प्राकृतिक आपदा जिसकी युक्तियुक्त रूप से पूर्वकल्पना नहीं की जा सकती थी और प्रचालक ने पर्यावरणीय आपात के संभावित हानिकर प्रभावों और जोखिम को कम करने के सभी युक्तियुक्त उपाय किए थे ;

(ग) आतंकवाद के किसी कृत्य , और

(घ) प्रचालक की गतिविधि के उद्देश्य से युद्ध कार्य:

परंतु प्रचालक, अपने कार्य करने या करने से लोप रहने का स्पष्टीकरण, ऐसे आपात की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, उसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए, समिति को प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय 9

अपराध और शास्तियां

किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

41. कोई व्यक्ति, जो—

(क) धारा 4 या धारा 5 या धारा 8 या धारा 12 या धारा 18 या धारा 19 या धारा 20 या धारा 21 या धारा 29 की उपधारा (4) या धारा 36 या धारा 37 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(ग) धारा 17 के उपबंधों का उल्लंघन करता है,—

(अ) अंटार्कटिका में किसी नाभिकीय विस्फोट के लिए वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा ; और

(आ) अंटार्कटिका में किसी रेडियोएक्टिव अपशिष्ट सामग्री के निपटान के लिए वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा ;

(घ) धारा 11 या धारा 16 या धारा 33 या धारा 35 का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पंद्रह लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पचहत्तर लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनो से, दंडनीय होगा ;

(ङ) धारा 14 या धारा 32 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

जलयान को अंतर्वलित करने वाले, अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

42. जहां, इस अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन में कोई जलयान अंतर्वलित है, वहां ऐसे जलयान का प्रचालक,—

(क) धारा 6 या धारा 11 या धारा 12 या धारा 13 या धारा 18 या धारा 19 या धारा 21 या धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पांच करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) धारा 7 या धारा 9 या धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

वायुयान को अंतर्वलित करने वाले, अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

43. जहां इस अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन में कोई वायुयान अंतर्वलित है, वहां ऐसे वायुयान का प्रचालक,—

(क) धारा 6 या धारा 11 या धारा 12 या धारा 19 या धारा 21 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पांच करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से , दंडनीय होगा ।

शास्ति, जहां अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है ।

44. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसके ऐसे किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था और जिसके संबंध में इस अधिनियम में विशिष्टतया कोई शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

45. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत उस फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

निधि का गठन ।

46. (1) अंटार्कटिका निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) इस अधिनियम के अधीन, अंटार्कटिका से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए संगृहीत प्रभार और अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने के लिए प्राप्त की गई सभी फीस ; और ;

(ख) कोई अनुदान या ऋण जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए ; और

(ग) कोई अनुदान या ऋण जो किसी संस्था द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए ।

(2) निधि का उपयोजन अंटार्कटिका पर्यावरण के संरक्षण और अंटार्कटिका अनुसंधान कार्य के कल्याण के लिए किया जाएगा ।

(3) समिति, निधि को ,ऐसी रीति में जो विहित की जाए, बनाए रखेगी और प्रशासित करेगी ।

कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनुज्ञापत्र हेतु प्रतिभूति ।

47. (1) समिति, ऐसे आवेदकों से प्रतिभूति के रूप में ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, ऐसी रकम के निक्षेप की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) प्रतिभूति रकम, समिति द्वारा, अनुज्ञापत्र धारक या किन्हीं व्यक्तियों या अनुज्ञापत्र की शर्तों द्वारा बाध्य जलयानों द्वारा कारित किसी प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात के निवारण, उपशमन या उपाय करने में सरकार द्वारा उपगत युक्तियुक्त खर्च की सरकार को, आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति हेतु उपयोजित की जा सकेगी ।

पदाभिहित न्यायालय और अधिकारिता ।

48. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण का उपबंध करने के लिए, संबद्ध उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात्, जो यह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा किसी

एक या अधिक सत्र न्यायालय को पदाभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) पदाभिहित न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण की अधिकारिता होगी ।

(3) कोई पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकेगा जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत नहीं की जाती है ।

(4) पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन की गई शिकायत के अवलोकन पर, अभियुक्त को विचारण के लिए भेजे बिना उस अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की अधिकारिता प्रदत्त करने के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या अंटार्कटिका में प्रचालक द्वारा कारित किसी अपराध के संबंध में भारत में कारित कोई अपराध समझा जाएगा । 1974 का 2

(6) पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण के लिए आरोपित अभियुक्त को, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध से भिन्न, किसी अन्य विधि के अधीन भी किसी अपराध का विचारण भी कर सकेगा । 1974 का 2

अपराधों की समिति को रिपोर्ट ।

49. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया गया है, समिति द्वारा पदाभिहित अधिकारी या अंटार्कटिका स्टेशन का प्रमुख या कोई प्रचालक ऐसे अपराध की समिति को तुरंत रिपोर्ट करेगा और उसके पश्चात् समिति केंद्रीय सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु पारेषित करेगा ।

अन्वेषण, आदि की शक्ति प्रदान करना ।

50. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या समिति के किसी अधिकारी को उक्त संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी, अन्वेषण, तलाशी और अभिग्रहण तथा अभियोजन की शक्ति प्रदान कर सकेगी । 1974 का 2

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन हेतु पुलिस अधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे ।

पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना ।

51. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध किसी पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को लागू होंगे और पदाभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा । 1974 का 2

लेखा और संपरीक्षा ।

52. (1) समिति, उचित लेखा और निधि से संबंधित अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ-हानि का लेखा और तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) समिति के लेखे की वार्षिक संपरीक्षा भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ऐसे अंतरालों पर करेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

विवरणियां और रिपोर्ट ।

53. (1) समिति, केंद्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जो विहित की जाए या जो केंद्रीय सरकार द्वारा निदेश दिए जाएं, अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में ऐसी विशिष्टियों के साथ विवरण और ऐसी विवरणियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो, समय-समय पर प्रस्तुत कर सकेगी ।

(2) समिति, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में और रीति में, जो विहित की जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए कार्यक्रमों और उसके क्रियाकलापों तथा नीतियों के संबंध में पूर्ण तथा सही लेखे देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

54. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या समिति या इसके सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या केंद्रीय सरकार या समिति के प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

55. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 11 के अधीन अंर्टाकटिक विशिष्टतया संरक्षित क्षेत्र और समुद्री संरक्षित क्षेत्र ;

(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कोई अन्य प्रजातियां ;

(ग) ऐसे पदार्थ या उत्पाद, जो धारा 19 के अधीन अंटार्कटिका में उपक्षेप नहीं किए जाएंगे ;

(घ) धारा 20 के अधीन ऐतिहासिक स्थल या इमारत और उसके भाग ;

(ङ) धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों के भत्ते या फीस और धारा (5) के अधीन सदस्यों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) धारा 24 के अधीन समिति की बैठकों के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के नियम, ऐसे अंतराल जब समिति बैठक करेगी और उसकी गणपूर्ति ;

(छ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन का प्ररूप, विशिष्टियां और फीस;

(ज) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन निबंधन और शर्तें;

(झ) धारा 27 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन अंटार्कटिका पर्यावरण और उसके आश्रित तथा सहबद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र पर अन्य महत्वपूर्ण हानिकारक प्रभाव ;

(ञ) धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा संचालित की जाने वाली पर्यावरण समाघात निर्धारण की रीति ;

(ट) धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन अपशिष्ट प्रबंधन योजना और आपात योजना तैयार करने की रीति ;

(ठ) धारा 27 की उपधारा (7) के अधीन ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु अनुज्ञापत्र तथा फीस संदत्त की जा सकेगी ;

(ड) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक के रूप में पदाभिहित करने के लिए किसी अधिकारी की अर्हताएं और अनुभव तथा धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन निरीक्षक के अन्य कृत्य;

(ढ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने की रीति ; उपधारा (2) के अधीन किसी विश्लेषक की अर्हताएं और अनुभव तथा धारा 10 के अधीन निरीक्षण दल के कृत्य और अन्य शक्तियां ;

(ण) धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य अपशिष्ट और ऐसे अन्य क्षेत्र, जिनके संबंध में उपधारा (6) के अधीन अवस्थानों की सूची तैयार की जानी है ;

(त) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन ऐसे अन्य अपशिष्ट और उपधारा (3) के परंतुक के अधीन निस्सारण के मानक ;

(थ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन ज्वलनशील अपशिष्टों, उपस्करों और यानों के लिए मानक ;

(द) ऐसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि या प्रोटोकोल या अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं जिनका अनुज्ञापत्र धारक धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन अनुपालन करेगा ;

(ध) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन जवाब में की गई कार्रवाई का खर्च और उपधारा (3) के अधीन प्रचालक द्वारा संदत्त शास्ति की रकम ;

(न) धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन निधि को बनाए रखने और प्रशासित करने की रीति;

(प) आवेदकों का ऐसा प्रवर्ग जो धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन समिति में प्रतिभूति का निक्षेप कर सकेंगे और ऐसे निक्षेप की रीति तथा प्रतिभूति की रकम,

(फ) धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले वार्षिक विवरण के लेखे और तुलन-पत्र का प्ररूप ;

(ब) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां और विवरण तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करने का समय, प्ररूप और रीति तथा उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ।

(भ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए;

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

56. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा ।

संसद् के समक्ष नियमों, अधिसूचनाओं या किए गए या जारी आदेशों का रखा जाना ।

57. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक अधिसूचना या जारी किए गए आदेश, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना या आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, अधिसूचना या आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु, यथास्थिति, नियम, अधिसूचना या आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर, 1959 को बारह राष्ट्रों अर्थात् अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस रिपब्लिक, जापान, न्यूजीलैंड, नार्वे, दक्षिण अफ्रीकी संघ, यूएसएसआर, यूके और यूएस द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो इसके अनुसमर्थन के पश्चात् 23 जून, 1961 को प्रवृत्त हुआ । यह संधि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को आच्छादित करती है । संधि का उद्देश्य अंटार्कटिक को विसैन्यीकरण करना, शांतिपूर्वक शोध क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त एक जोन के रूप में स्थापना करना और क्षेत्रीय संप्रभुता के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुनिश्चित करते हुए उसके द्वारा विवादों को अलग रखना है ।

2. अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण और परिरक्षण के लिए तथा विशिष्टतया, अंटार्कटिक में समुद्री जीव संपदा के परिरक्षण और संरक्षण के लिए अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा के संरक्षण पर अभिसमय (सीसीएएमएलआर) पर 20 मई, 1980 को कैनबरा में हस्ताक्षर किए गए थे ।

3. अंटार्कटिक संधि प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए और अंटार्कटिक पर्यावरण तथा आश्रित और सहयुक्त पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए एक व्यापक व्यवस्था के विकास के लिए अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकाल (मैड्रिड प्रोटोकाल) पर 4 अक्तूबर, 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे ।

4. भारत ने अंटार्कटिक संधि पर 19 अगस्त, 1983 को हस्ताक्षर किया और 12 सितंबर, 1983 को परामर्शदात्री प्रास्थिति प्राप्त की । भारत, अंटार्कटिक संधि के 29 परामर्शदात्री पक्षकारों में से एक है । भारत ने 17 जनू, 1985 को सीसीएएमएलआर को अनुसमर्थित किया और 14 जनवरी, 1998 को मैड्रिड प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किया ।

5. भारत, राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम प्रबंधक समिति (सीओएमएनएपी), अंटार्कटिक शोध की वैज्ञानिक समिति (एससीएआर) और सीसीएएमएलआर का सदस्य भी है, जो उसके महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है कि भारत अंटार्कटिक शोध में सम्मिलित राष्ट्रों के बीच स्थान रखता है । शिरमाकर हिल्स स्थित एक मैत्री स्टेशन और लार्समन हिल्स स्थित दूसरा भारती स्टेशन, जिसके अंतर्गत आर्कटिक में हिमाद्री स्टेशन भी है, सक्रिय शोध स्टेशनों के साथ भारत अब ध्रुवीय क्षेत्रों के भीतर बहु-शोध स्टेशनों के साथ राष्ट्रों के विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत आता है ।

6. अंटार्कटिक में समुद्री जीव संपदा के शोषण से और मानव उपस्थिति से अंटार्कटिक के आस-पास प्राचीन अंटार्कटिक पर्यावरण तथा महासासगर के परिरक्षण पर चिंता बढ़ रही है । अंटार्कटिक में वैज्ञानिक शोध का समन्वयन और प्रबंध पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शोध संस्थान को ध्रुवीय और समुद्री शोध के लिए राष्ट्रीय केंद्र, गोवा द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । भारत नियमित अंटार्कटिक अभियानों को आयोजित करता है और भारत से बहुत लोग प्रतिवर्ष पर्यटक के रूप में अंटार्कटिक जाते हैं । भविष्य में, प्राइवेट पोत और विमानन उद्योग का प्रचालन भी आरंभ होगा और अंटार्कटिक में पर्यटक और मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसको विनियमित करने की आवश्यकता है । अंटार्कटिक में भारतीय वैज्ञानिकों के सतत और बढ़ती हुई उपस्थिति अंटार्कटिक संधि के एक

सदस्य के रूप में इसकी बाध्यताओं से संगत अंटार्कटिक पर एक देशी विधायन का प्राधिकार देता है । यह महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर एक वैश्विक नेता के रूप में भारत के आविर्भाव से भी मेल खाता है ।

7. तदनुसार, संसद् में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है । यह विधेयक, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का प्रस्ताव करता है—

(क) प्रोटोकाल के लिए अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के बिना अंटार्कटिक में भारतीय अभियान को या कतिपय क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिषिद्ध करना ;

(ख) अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति के नाम से एक समिति की स्थापना करना, जो उसमें विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगी ;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षक के रूप में पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा भारत में निरीक्षण के लिए उपबंध करना और अंटार्कटिक में निरीक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन करना ;

(घ) विधेयक के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति का उपबंध करना ;

(ङ) अंटार्कटिक निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि के गठन का उपबंध करना, जो अंटार्कटिक शोध कार्य के कल्याण और अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोजित की जाएगी ;

(च) पदाभिहित न्यायालयों और उनकी अधिकारिता के लिए उपबंध करना ।

8. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

9. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
25 मार्च, 2022

डा0 जितेंद्र सिंह

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1, प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 2, व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित विधान के लागू होने के लिए और उसमें विनिर्दिष्ट अंटार्कटिक के क्षेत्रों के लिए उपबंध से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 3, प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 4, किसी भारतीय अभियान के किसी व्यक्ति को प्रोटोकाल के लिए अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञा या लिखित प्रधिकार के बिना अंटार्कटिक में प्रतिषिद्ध करने के लिए है । सिवाय, ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो अंटार्कटिक के बाहर किसी तुरंत गंतव्य स्थान के लिए खुले समुद्र पर या उसके ऊपर यात्रा कर रहा है ।

विधेयक का खंड 5, कोई व्यक्ति प्रोटोकाल के लिए अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के बिना, अंटार्कटिक के किसी भारतीय आस्थान में प्रवेश करने या उसमें बने रहने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 6, भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई जलयान या वायुयान प्रोटोकाल के लिए अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञा या लिखित प्रधिकार के बिना अंटार्कटिक में प्रवेश करने या उसमें बने रहने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है । यह और उपबंध करता है कि ऐसे जलयान के मामले में अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी, जो अंटार्कटिक के बाहर किसी तुरंत गंतव्य स्थान के लिए खुले समुद्र पर या उसके ऊपर यात्रा कर रहा है । यह भी उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को अंटार्कटिक के बाहर किसी तुरंत गंतव्य स्थान के लिए किसी वायुयान से यात्रा करने के संबंध में अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 7, प्रस्तावित विधान के अधीन जारी किसी अनुज्ञा के सिवाय अंटार्कटिक में कतिपय खनिज संपदा क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए है । यह उक्त खंड के अधीन किसी अनुज्ञा को जारी करने को प्रतिषिद्ध भी करता है जब तक कि समिति का समाधान नहीं हो जाता है कि यह क्रियाकलाप उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ही कार्यान्वित किए जाएंगे ।

विधेयक का खंड 8, प्रोटोकाल के लिए अन्य पक्षकार की किसी अनुज्ञा या लिखित प्रधिकार के बिना उमसें विनिर्दिष्ट अंटार्कटिक में कतिपय क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 9, किसी व्यक्ति, जलयान या वायुयान अंटार्कटिक के किसी भाग में, किसी जीवजाति का कोई पशु, जो अंटार्कटिक का निवासी नहीं है या कोई पौधा, जो देशी पौधा नहीं है, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के सिवाय, प्रतिषिद्ध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 10, किसी व्यक्ति को अंटार्कटिक के किसी भाग में, किसी जीव-जाति का सूक्ष्मदर्शी जीव, जो अंटार्कटिक का निवासी नहीं है, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के सिवाय, प्रविष्ट करने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 11, किसी जलयान या वायुयान को प्रोटोकाल के अन्य

पक्षकार के अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के सिवाय, अंटार्कटिक विशेषत: संरक्षित क्षेत्र या समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रविष्ट करने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 12, किसी व्यक्ति, जलयान या वायुयान को प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के सिवाय, अंटार्कटिक में अपशिष्ट का निपटान करने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 13, कोई जलयान, जब वह अंटार्कटिक में हो, प्रोटोकाल के अन्य पक्षकार के अनुज्ञा या लिखित प्राधिकार के सिवाय, समुद्र में कोई तेल, या तेलीय मिश्रण, बहिस्राव, नित्तल जल या किसी खाद्य का अपशिष्ट निस्सारित करने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 14, उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु समिति को सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 15, प्रस्तावित विधान का खंड 4, खंड 5, खंड 6, खंड 11, खंड 12 और खंड 13 के उपबंध ऐसे आपातकालों के दौरान लागू नहीं होंगे ।

विधेयक का खंड 16, अंटार्कटिक में वाणिज्य हेतु मछली मारने के लिए विशेष अनुज्ञा का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 17, अंटार्कटिक में परमाणु विस्फोट या रेडियो एक्टिव अपशिष्ट तत्व का निस्सारण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिषेध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 18, अंटार्कटिक में उपजाऊ मिट्टी को ले जाने का प्रतिषेध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 19, कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान द्वारा किसी पदार्थ या उत्पाद को अंटार्कटिक में प्रविष्टि कराने से प्रतिषेध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 20, अंटार्कटिक में किसी ऐतिहासिक स्थल या संस्मारक या उसके भाग को, क्षति पहुंचाने, उसे नष्ट करने या उसे हटाने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 21, कोई व्यक्ति, जलयान या वायुयान, जब वह अंटार्कटिक में है, कब्जा करने, विक्रय करने, इत्यादि का प्रतिषेध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 22, किसी व्यक्ति को कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक या अन्य उत्पाद या पदार्थ को समुद्र में निस्सारित करने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है, जो समुद्री पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो ।

विधेयक का खंड 23, उसमें विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनने वाली अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी एक समिति की स्थापना के लिए है।

विधेयक का खंड 24 समिति की बैठकों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 25 समिति के कृत्यों का उपबंध करने के लिए है जिसमें अन्य बातों के साथ अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय विधियों की मानीटरी, क्रियान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना, सलाह लेना, पर्यवेक्षी या प्रवर्तन क्रियाकलाप प्रारंभ करना, संधि, अभिसमय, नयाचार के पक्षकारों और अन्य पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सुसंगत सूचना और रिपोर्ट अभिप्राप्त करना और उनका पुनर्विलोकन करना, अनुज्ञा की निबंधनों और शर्तों, आदि को अवधारित

करना, सम्मिलित है ।

विधेयक का खंड 26 केन्द्रीय सरकार को समिति को ऐसे निदेश देने के लिए सशक्त करने के लिए है, जो वह आवश्यक समझे ।

विधेयक का खंड 27 समिति को अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन करने और ऐसी अनुज्ञा की रीति के लिए उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 28 कतिपय मामलों में जलयान या वायुयान के स्वामी या प्रचालक के दायित्व का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 29 अनुज्ञा के निलंबन और रद्दकरण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 30 केन्द्रीय सरकार द्वारा निरीक्षक के रूप में पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा भारत में निरीक्षण का उपबंध करने के लिए है । यह निरीक्षक की शक्तियां और कृत्यों का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 31 अंटार्कटिका में निरीक्षण कार्यान्वित करने के लिए निरीक्षण दल का गठन करने के लिए है । यह समिति को किसी अधिकारी को विश्लेषक के रूप में पदाभिहित करने के लिए भी सशक्त करता है, जो निरीक्षण दल का भाग होगा । यह निरीक्षण दल और विश्लेषक दल की शक्तियों और कृत्यों का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 32 निरीक्षक या निरीक्षक दल को बाधा डालने या किसी व्यक्ति द्वारा मिथ्या अथवा भ्रामक सूचनाएं देने का प्रतिषेध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 33 यह उपबंध करता है कि भूमि पर के अपशिष्ट निपटान स्थलों और परित्यक्त कार्यस्थलों को ऐसे अपशिष्ट के जनकों द्वारा और ऐसे स्थलों के उपयोक्ताओं द्वारा साफ किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 34 अपशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंध योजना के स्थापन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 35 अपशिष्टों का ऐसे अपशिष्टों के जनकों द्वारा हटाए जाने का उपबंध करने के लिए है, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिका से घरेलू अपशिष्ट जैसे कि रेडियोधर्मी पदार्थ, सभी प्रकार की बैटरियां, ईंधन, तरल और ठोस दोनों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अप्रयोज्य मशीनरी, आदि ऐसे अन्य अपशिष्टों का हटाया जाना भी सम्मिलित है । यह और उपबंध करता है कि इस खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि ऐसे अपशिष्ट को जीवाणु विहीन बनाने के लिए भस्मित, भाप-सह पात्र में या अन्यथा उपचारित किया जाता है; या यदि ऐसे अपशिष्टों को हटाए जाने का परिणाम बृहत् प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात है, तब उन्हें उनकी विद्यमान अवस्थितियों में छोड़ दिया जाएगा ।

विधेयक का खंड 36 दहन अपशिष्ट का निपटान का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 37 यह उपबध करने के लिए है कि अंटार्कटिका से हटाया

गया या ऐसे अपशिष्ट के जनकों द्वारा अन्यथा निपटान किया गया पूर्ण अपशिष्ट ऐसे तरीके से पृथक, निरूध, परिबद्ध, और भंडारित किया जाएगा जिससे उनका पर्यावरण में छितराव रोका जा सके ।

विधेयक का खंड 38 समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं की अनुपालना सुनिश्चित करने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 39 पर्यावरणीय आपात की दशा में प्रचालक के कर्तव्यों और दायित्वों का उपबंध करने लिए है ।

विधेयक का खंड 40 प्रचालक का कतिपय मामलों में दायित्व से छूट का उपबंध करने लिए है ।

विधेयक का खंड 41 किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित विधान के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 42 जलयान को अंतर्वलित करने वाले, प्रस्तावित विधान के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 43 वायुयान को अंतर्वलित करने वाले, प्रस्तावित विधान के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 44 ऐसी शास्ति का उपबंध करने के लिए है जहां प्रस्तावित विधान में शास्ति के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है

विधेयक का खंड 45 कंपनियों द्वारा अपराधों का उपबंध करने के लिए है । यह और उपबंध करता है कि जहां यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है तो वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

विधेयक का खंड 46 अंटार्कटिका निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि के गठन का उपबंध करने के लिए है जिसका उपयोजन अंटार्कटिका पर्यावरण के संरक्षण और अंटार्कटिका अनुसंधान कार्य के कल्याण के लिए किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 47 कतिपय आवेदकों से प्रतिभूति के रूप में ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, ऐसी रकम के निक्षेप की अपेक्षा करने के लिए सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 48 पदाभिहित न्यायालयों और उनकी अधिकारिता का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 49 समिति द्वारा पदाभिहित अधिकारी या अंटार्कटिका स्टेशन के प्रमुख या किसी प्रचालक को अपराधों की समिति को रिपोर्ट का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 50 केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या समिति के किसी अधिकारी को अन्वेषण आदि की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 51 किसी पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्रवाईयों को दंड प्रक्रिया संहिता लागू होने और ऐसे न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने

वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझे जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 52 समिति द्वारा निधि के लेखे बनाए रखने और संवीक्षा का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 53 समिति, केंद्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जो विहित की जाए विवरणियां और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 54 केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या समिति या इसके सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या केंद्रीय सरकार या समिति के प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 55 केंद्रीय सरकार को उसमें प्रगणित विषयों पर नियम बनाने के लिए सशक्त करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 56 प्रस्तावित विधान के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर कठिनाइयों को दूर करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 57 संसद् के समक्ष प्रस्तावित विधान के अधीन नियमों, अधिसूचनाओं या किए गए या जारी आदेशों को रखे जाने का उपबंध करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 23 का उपखंड (1) भारतीय अंटार्कटिका खोजयात्रा को विनियमित करने के लिए अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करने और विधेयक के अधीन इसे समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का उपबंध करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (4), समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीस या भत्तों का उपबंध करने के लिए है ।

2. विधेयक का खंड 46 अंटार्कटिका निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन करने के लिए है जिसमें (क) इस विधेयक के अधीन, अंटार्कटिका से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए संगृहीत प्रभार और अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने के लिए प्राप्त की गई सभी फीस; (ख) कोई अनुदान या ऋण जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए दिया जाए ; और (ग) कोई अनुदान या ऋण जो किसी संस्था द्वारा इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए दिया जाए, जमा किए जाएंगे, का उपबंध करने के लिए है ।

3. समिति की सहायता करने के लिए अपेक्षित मानव संसाधन, जिसमें 1.8 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय अंतर्वलित है जिसे केंद्रीय सरकार के बजटीय उपबंध से पूरा किया जाएगा ।

4. समिति का लक्ष्य, अनुज्ञा पत्र फीस, शास्ति अधिरोपण और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान तथा कार्यात्मक साधन और तंत्रों के लिए फीस के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना है ।

5. विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाए या प्रवर्तन में लाया जाए तो पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित आवर्ती और अनावर्ती व्ययों से भिन्न कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं होंगे ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 55 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन मामलों को प्रगणित करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित को विहित करना भी है, अर्थात्:-- (क) खंड 11 के अधीन अंटार्कटिक विशेषत: संरक्षित क्षेत्र या समुद्री संरक्षित क्षेत्र; (ख) खंड 14 के उपखंड (1) के मद (घ) के अधीन कोई अन्य जीव-जंतु ; (ग) खंड 19 के अधीन कोई पदार्थ या उत्पाद जिसे अंटार्कटिका में प्रविष्ट नहीं कराया जाएगा; (घ) खंड 20 के अधीन ऐतिहासिक स्थल या संस्मारक या उसका कोई भाग; (ङ) खंड 23 के उपखंड (5) के अधीन सदस्यों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ; (च) खंड 24 के अधीन ऐसे अंतराल जिनमें समिति बैठकें करेगी, उसकी बैठकों के कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया और उसकी गणपूर्ति; (छ) खंड 27 के उपखंड (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्ररूप, विशिष्टियां और फीस ; उपखंड (3) के अधीन अनुज्ञा के निबंधन और शर्तें; उपखंड (4) की मद (छ) के अधीन अंटार्कटिक पर्यावरण और उस पर निर्भर तथा सहयुक्त पारितंत्र पर ऐसे अन्य विपुल हानिकर प्रभाव; उपखंड (5) के अधीन आवेदक द्वारा संचालित किए जाने वाले पर्यावरणीय समाघात निर्धारण को कार्यान्वित करने की रीति; उपखंड (6) के अधीन अपशिष्ट प्रबंधन योजना और आपात योजना को तैयार करने की रीति ; उपखंड (7) के अधीन वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी और उसके नवीकरण के लिए संदत्त की जाने वाली फीस; (ज) खंड 30 के उपखंड (1) के अधीन निरीक्षक के रूप में पदाभिहित किए जाने वाले किसी अधिकारी की अर्हता और अनुभव तथा उपखंड (2) की मद (छ) के अधीन निरीक्षक के अन्य कृत्य ; (झ) खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन निरीक्षण कार्यान्वित करने की रीति, उपखंड (2) के अधीन विश्लेषक की अर्हता और अनुभव और उपखंड (10) के अधीन निरीक्षण दल की अन्य शक्तियां और कृत्य; (ञ) खंड 34 के उपखंड (2) की मद (च) के अधीन कोई अन्य अपशिष्ट और उपखंड (6) के अधीन ऐसे अन्य क्षेत्र जिनके संबंध में अवस्थितियों की एक सूची तैयार की जा सकेगी; (ट) खंड 35 के उपखंड (1) की मद (ज) के अधीन ऐसे अन्य अपशिष्ट और उपखंड (3) के परंतुक के अधीन निस्सारित विसर्जन के लिए मानक; (ठ) खंड 36 के उपखंड (2) के अधीन अपशिष्ट के भस्मन और उपस्कर तथा यानों से उत्सर्जन के मानक; (ड) खंड 38 के उपखंड (1) के अधीन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों या संधि या प्रोटोकॉल या ऐसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं जिनका अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा अनुपालन किया जाएगा; (ढ) खंड 39 के उपखंड (2) के अधीन जवाबी कार्यवाही का खर्च और उपखंड (3) के अधीन प्रचालक द्वारा संदत्त की जाने वाली शास्ति की रकम; (ण) खंड 46 के उपखंड (3) के अधीन वह रीति जिसमें समिति निधि को बनाए रखेगी और उसका प्रशासन करेगी; (त) खंड 47 के उपखंड (1) के अधीन ऐसे आवेदकों का वर्ग जो समिति को प्रतिभूति का निक्षेप कर सकेंगे, ऐसे निक्षेप का प्ररूप और प्रतिभूत रकम; (थ) खंड 52 का उपखंड (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें समिति लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी; (द) खंड 53 के उपखंड (1) के अधीन वह समय जिसके भीतर तथा वह प्ररूप और रीति जिसमें समिति केन्द्रीय सरकार को विवरणी और विवरण तथा उपखंड (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा (ध) ऐसे अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना है या जो विहित किए जाएं ।

2. विधेयक का खंड 57 यह उपबंध करता है कि विधेयक के अधीन बनाया गया

प्रत्येक नियम, जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना या प्रत्येक आदेश, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में पूर्वोक्त नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय और उनके लिए प्रस्तावित विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नही हैं । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।